परिपत्र सं**o.**95/14/2019-जीएसटी

फा**.** सं**o.**सीबीईसी-**20/16/04/2018-**जीएसटी (पार्ट.**I**)

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

राजस्व विभाग

केन्दीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी **(**नीति स्कंध**)**

*****

नई दिल्ली**,** दिनांक 28 मार्च, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त /

केन्द्रीय कर आयुक्त(सभी)

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

<u>विषय</u>: <u>नए पंजीकरण मंजूरी हेतु आवेदनों का सत्यापन - के संबंध में</u>

हाल ही में, केंद्रीय माल एवं सेवा नियमावली, 2017 (एतश्मिनपश्चात् „सीजीएसटी नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 21 के साथ पठित केन्दीय माल एवं सेवा अधिनियम, 2017(एतश्मिनपश्चात् „सीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 29 की उप-धारा(2) के प्रावधानों के अंतर्गत उचित अधिकारी द्वारा उक्त संवैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन के कारण बड़ी संख्या में पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं । इस संबंध में, ऐसे उदाहरण सामने आएं हैं कि ऐसे व्यक्ति, जो व्यवसाय करना जारी रखते हैं और इसलिए उन्हें जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है, सीजीएसटी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 में यथा निर्दिष्ट पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं । इसके बजाय, ऐसे व्यक्ति नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं । इस तरह के नए आवेदन सम्भवत: किए गए हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत नहीं की और पुराने/रद्द किए गए पंजीकरण के अंतर्गत आविष्ट कर अवधि के लिए कर का भुगतान नहीं किया । इसके अलावा, ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण निस्तारण-निरसन के लिए आवेदन किए जाने की स्थिति में उनके लिए सभी देयताओं का

भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा । इसलिए, कर देनदारियों के भुगतान से बचने के लिए, ऐसे व्यक्ति नए पंजीकरण हेतु आवेदन किए जाने के मार्ग का उपयोग कर सकते हैं । यह उल्लेख करना उचित है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के परन्तुक में निहित प्रावधानों के अनुसार, कोई व्यक्ति एक ही राज्य में एक ही पैन पर अलग पंजीकरण ले सकता है ।

2. क्षेत्र कार्यालयों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने हेतु, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुदेश जारी करता है ।

3. सीजीएसटी अधिनियम के नियम 9 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (10) में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी या दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति का प्रावधान है । यह संभव है कि आवेदक पूर्व पंजीकरण संबंधी किसी मसौदा जानकारी को दबा दे । कुछ जानकारी जो प्रपत्र जीएसटी आरईजी-01 में पंजीकरण हेतु आवेदन में छिपाई जा सकती है, वे हैं, क्र0सं0. 7 'व्यवसाय के प्रारंभ की तिथि', क्र0सं0 8 'वह तिथि जिस पर पंजीकरण किए जाने की देयता उद्भूत हो', क्र0.सं0. 14 'पंजीकरण प्राप्त किए जाने का कारण' आदि । ऐसे व्यक्ति समान पैन पर जीएसटी के तहत प्राप्त किए गए पूर्ववर्ती पंजीकरणों का विवरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं ।

4. एतद्द्वारा, यह अनुदेशित किया जाता है कि करदाताओं द्वारा प्रस्तुत ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन को संसाधित करते समय उचित अधिकारी सावधानी बरतें, जहां करदाता राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकरण की मांग कर रहा है, यद्यपि उसके पास उक्त राज्य के भीतर एक मौजूदा पंजीकरण हो या उसका पूर्व पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो । यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट शर्तों की निरंतरता के साथ ही पंजीकरण रद्द-निरसन हेतु आवेदन नहीं किया जाना सीजीएसटी नियमावली के नियम 9 के उप-नियम (2) के अर्थों में एक "कमी" मानी जाएगा । उचित अधिकारी वर्तमान आवेदन में निहित जानकारी, वह आधार जिस पर पहले पंजीकरण (रों) को रद्द कर दिया गया था और वैधानिक उल्लंघनों की वर्तमान स्थिति जिसके लिए पहले का पंजीकरण (रों) रद्द कर दिया गया था, के साथ पूर्व पंजीकरण से

संबंधित जानकारी की तुलना कर सकता है । समान पैन पर प्राप्त पंजीकरण को रद्द किए जाने की तुलना में नए आवेदन में उल्लिखित पैन पर लिए गए पंजीकरण के विवरण को प्राप्त करके डेटा को आम पोर्टल पर सत्यापित किया जा सकता है । समान पैन पर दिए गए अन्य पंजीकरणों की स्थिति के बारे में जानकारी आवेदक और उचित अधिकारी दोनों को आम पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है । इसके अलावा, यदि अपेक्षित हो, तो मालिक, सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों/ संघों की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यास बोर्ड आदि के विवरण संबंधी प्रपत्र जीएसटी आरईजी-01 की क्र0.सं0. 21 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को समान विवरण वाले किसी भी रद्द किए गए पंजीकरण की तुलना में विश्लेषित किया जा सकता है ।

5. पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय, उचित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्या पूर्व पंजीकरण को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया था और क्या आवेदक ने पंजीकरण निस्तारण-निरसन के लिए आवेदन किया है । यदि उचित अधिकारी को पता चलता है कि पंजीकरण निरस्तारण-निरसन के लिए आवेदन दायर नहीं किया गया है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट शर्तें अभी भी जारी हैं, तब, उसी को सीजीएसटी नियमावली के नियम 9 के उप-नियम (4) के साथ पठित उप-नियम (2) के संदर्भ में पंजीकरण हेतु आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक आधार माना जा सकता है । अत:, यह सलाह दी जाती है कि जहां आवेदक पर्याप्त ठोस औचित्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है या उचित अधिकारी प्रस्तुत स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, तब, नए पंजीकरण हेतु उनके आवेदन को अस्वीकृति के लिए माना जा सकता है ।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों के संदर्भों को प्रचारित किए जाने हेतु उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं ।

7. इन अनुदेशों के कार्यान्वयन में, कठिनाई, यदि कोई हो, को बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

(उपेंद्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)